RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

साहित्य के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण

Abhlekh Yadav

M.A. Hindi. Ugc Net Qualify (2018)

सामाजिक और शैक्षिक जागरूकता के चलते माँ-बाप अब लड़कियों को खूब पढ़ा-लिखा रहे हैं। इस परिवर्तन का आंशिक प्रभाव कम से कम शहरों में तो यह पड़ा ही कि लड़कियाँ प्रबंधन, आईटी, बैंकिंग व पत्रकारिता जैसे पेशों में जाने लगी। सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली अध्यापक की नौकरी में आज देश में संभवतः सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की ही होगी। सामान्यतः ऐसी कमाऊ लड़कियों की शादी में दहेज की अनिवार्यता इस शर्त के साथ खत्म होने लगी थी कि उनकी तनख्वाह आखिर ससुराल में ही तो काम आएगी। इसलिए नौकरीशुदा लड़की को बिना दहेज लिए बहू बनाना स्वीकार होने लगा था। पढ़ी लिखी नौकरीशुदा लड़की की राय भी शादी में अहम होने लगी थी, लेकिन इधर एक सामाजिक अड़चन और युवाओं की हिचक सारे किए-धरे पर पानी फेरती नजर आ रही है। यह हमारे मॉडर्न समाज की बड़ी विडंबना है कि बेशक लड़कियाँ पढ़ी-लिखी हो और अच्छी नौकरी में हो लेकिन ज्यादातर मामलों में शादी परिवार वालों की मर्जी से ही करनी पड़ती है।

स्त्री लेखन से समाज आज आगे बढ़ रहा है। स्त्रियाँ आज खुलकर अपने विचार प्रकट करने लगी हैं। वे अपने अस्तित्व को पहचानने लगी हैं। आज नारी की स्थिति बदलने लगी है। आज औरत देश में प्रधानमंत्री तक का पद संभाल रही है। स्त्री लेखन ने समाज की आधी आबादी को सच से अवगत कराया। थेरीगाथा की स्त्रियों से लेकर अब तक की स्त्रियों का लेखन समाज को स्त्री चिंतन से सहज ही अवगत कराता है। अब पुरूषों को समाज में स्त्रियों के संग ताल से ताल मिलाते हुए चलने के लिए स्त्री चिंतन को समझना होगा।[१] हम जब इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे समाज में अनेक ऐसी शक्तिशाली महिलाएँ हुई हैं जिन्होंने देश को संभाला है। ये पुरूष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती है। इनमें झाँसी की रानी, एनीबेसेंट, रजिया सुल्तान, मुमताज महल, इंदिरा गाँधी आदि का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। समाज जिन कार्यक्षेत्रों में स्त्रियों को अयोग्य मानता है उन कार्यों को तो स्त्रियाँ पहले ही कर चुकी हैं और उनमें सभी कार्यों में वह सफल हुई है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी स्त्री को शेक्सपीयर के नाटक लिखने या मोजार्ट के सारे ऑपेरा संगीतबद्ध करने से रोकता है। इतिहास गवाह है। भारत की बात करें तो वैदिक काल में स्त्री, पुरूष से कमतर नहीं थी। धर्म और दर्शन के गूढ़ क्षेत्रों में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा, सुलभा जैसे चरित्र बहुत मजबूत स्थिति में रहे हैं।[२] प्राचीन समय से महिलाओं ने लेखनी चलाई है और आधुनिक युग में तो महिलाएँ पुरूषों से किसी भी तरह कम नहीं है। वे खुलकर रचनात्मक कार्य कर रही हैं। दलित विमर्श पर भी बहुत लिखा जा रहा है। हिंदी भाषा की कई लेखिकाएँ इस विमर्श हेतु अपनी लेखनी से समाज को अवगत करा रही हैं। दलित स्त्री विमर्श पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। समाज जाति के नाम पर बंटा हुआ है। आज भी नारीवारी विचारकों एवं कार्यकर्त्ताओं को लगता है कि जाति का सवाल उनके आंदोलन को तोड़ देगा। जबकि दलित महिलाओं का मानना है कि दलित महिलाओं को जोड़ने से ही नारीवारी आंदोलन और सशक्त बनेगा। आज ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण के सवाल पर दलित स्त्रियों को चिंता है कि अगर उनको उनका हिस्सा नहीं मिला तो वे मुख्य धारा से पिछड़ जायेगी।[३] औरतों को छोटा मानने या करने की यह सांस्कृतिक मानसिकता सिर्फ पुरूषों में ही ऐसी नहीं है। याद करिए जब निर्भया कांड के बाद कुछ धर्माचार्यों और राजनेताओं ने ऐसे कांड के लिए लड़कियों के ओढ़ावे-पहनावे और उनके घूमने-फिरने के आधुनिक तौर-तरीकों को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसी मानसिकता, जहाँ एक ओर बलात्कारी के लिए रक्षा कवच का काम करती है तो दूसरी और औरतों के लिए सामाजिक अपमान, आत्मग्लानि और हीनताबोध का कारण बनती है। इसी के कारण भारत में होने वाले बलात्कार और यौन-उत्पीड़न के मामलों में से ७५ प्रतिशत रिपोर्टर्स नहीं होती और जो रिपोर्टर्स होती हैं उनमें से ७५ प्रतिशत पंजाब तक नहीं पहुंचती।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

इसी कारण आज स्त्रियों में बदला लेने की भावना आई है। स्त्रियों को किसी भी स्तर पर कम नहीं समझना चाहिए। उसे ही लिखने दीजिए अपने दर्दों का हिसाब, उसे ही ढूंढने दीजिए अपने मार्ग। जैसे पूर्व में समाज उनके साथ खड़ा था, वैसे ही सभी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। समाज को पुनः यह सिद्ध करना चाहिए कि स्त्री अबला नहीं अपितु दुर्गा है। साथ ही पुरूष के पतन के प्रति भी उनकी दृष्टि जानी चाहिए। क्योंकि आज जितना पतन पुरूष का हुआ है उतना पतन किसी भी काल में नहीं हुआ था। अतः उसे पुनः संस्कारित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह भी निर्विवादित सत्य है कि पूर्व में केवल पुरूष को संस्कारित किया जाता था लेकिन आज दोनों को ही संस्कारित करने की आवश्यकता आन पड़ी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा चलचित्र है जिसमें पुरूष से भी अधिक स्त्री असंस्कारित दृष्टिगोचर हो रही है।[४] हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है जबकि प्रारंभ में शायद मातृसत्तात्मक समाज का अस्तित्व था। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की स्थिति दयनीय है। स्त्री पर जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पुरूष का पहरा होता है। बचपन में पिता का, शादी के बाद पति का और बाद में पुत्र का। इसका वह बार-बार विरोध भी करती आई है और आज भी कर रही है। पुरूष पारिवारिक-सामाजिक-राजनीतिक सत्ता पर आज भी हावी है। इतना ही नहीं सांस्कृतिक स्तर पर भी उन्हीं परंपराओं का बोलबाला है जिनके अनुसार स्त्री मात्र पुरूष की दासी है, भोग्या है। पुरूष छल-बल-कौशल से आज भी स्त्री को अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता। अतः अपनी सत्ता कायम रखने के लिए स्त्री प्रताड़ना करता रहता है। आधी आबादी पर पुरूषों का राज सदियों से चला आ रहा है, इसका विरोध भी होता रहा है। पाश्चात्य देशों में स्त्री मुक्ति के लिए नारीत्व से मुक्ति की घोषणा की गई और पुरूष मुक्त जीवन की कल्पना भी की गई तो संयत विचारधारा के तहत नारी सशक्तिकरण-नारी सबलीकरण के लिए विचार-विमर्श सक्रिय होते गये।[५] स्त्री के व्यक्तित्व निर्माण के लिए संघर्ष हो रहा है। स्त्री को देवी तक का दर्जा दिया गया है किंतु वह पुरूष की मित्र कभी नहीं रही। स्त्री को पुरूषों ने अपनी सुविधा के अनुसार रूप दे दिया लेकिन अपने समान नहीं बनने दियां २१वीं सदी में नारी ने हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। चाहे वह खेल जगत है, राजनीति है, विज्ञान क्षेत्र है, वह किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं है। आज वह हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर भाग ले रही है और पुरूषों से भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज स्त्री अपनी पहचान अपने आप से करना चाहती है न कि पिता, पति, पुत्र के नाम से और ऐसा कर भी रही है। आज की नारी माउंट एवरेस्ट से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। विभिन्न स्त्रोतों से मिले आंकड़ों को एकत्र करें तो आज के समय में आईटी इंडस्ट्री, बीपीओ, चिकित्सा, प्रशासन, व्यवसाय, सैन्य क्षेत्रों में उनकी दमदार मौजूदगी नजर आने लगी है। आई टी इंडस्ट्री में सन् १९८१ ई० में जहाँ पुरूषों के मुकाबले सिर्फ १९.७ प्रतिशत स्त्रियाँ काबिज थीं, वहीं १९९१ में यह संख्या २२.७ फीसदी हो गई। नैसकॉम के ताजा आंकडे बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में भारत में स्त्रियों के लिए रोजगार में लगभग १८ फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है।[६] माना जा रहा है कि वर्ष २०१९ तक स्त्री तकनीशियनों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। स्त्री घर व बाहर संतुलन बनाए रखती है। वह घर में भी काम-काज करती है व बाहर भी काम संभाल रही है। एक स्त्री के विकास से समूचे समाज का विकास निहित है। वह घर के साथ-साथ पूरे घर को संभालती है। अगर जरूरी होता है तो वह पुरूष का विरोध भी करती है। जैसे- फैसला कहानी में रनवीर की पत्नी रनवीर को वोट न देकर एक दलित वर्ग के लड़के को वोट दे देती है। वह सच का साथ देना चाहती है। हम उन सभी स्त्रियों का भी अनिनंदन करते हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं और नित नई ऊँचाइयों को छू रही हैं। हमारे समाज में इधर एक बदलाव देखने को मिला है कि यहाँ तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण शायद यह है कि अब स्त्रियाँ घरेलू हिंसा का शक्ति के साथ विरोध करने लगी हैं और वे मानने लगी हैं कि एक बदतर जिंदगी से बेहतर है अकेले रहकर अपने सपने पूरा करने या कैरियर पर ध्यान देना। बड़े शहरों में स्त्रियाँ कैरियर को प्राथमिकता दे रही हैं। लेकिन दीगर बात यह है कि शादी के बाद नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या आधी रह जाती है। कोरिया में अभिभावक बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक है और जितना संभव हो उन्हें उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। यहाँ शिक्षा और रोजगार में स्त्रियों के साथ भेदभाव की स्थिति है। कुल मिलाकर मेरा यह मानना है कि जाति, वर्ग, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति जो चाहता है, वह सब करने के लिए उसे बराबरी के अवसर मिलने चाहिए। स्त्री समर्पिता ही है अब तक।[७] नारी पुरूष की जननी ही नहीं, उसकी पालक भी है। अतः मानवता की दृष्टि से माँ का पद महान है। लेकिन फिर भी वह समाज में अपमान झेलती

आई है। इसका विरोध आज नारी बड़े साहस के साथ कर रही है। लेखिकाएँ अपनी कलम के माध्यम से समाज में स्त्रियों की स्थिति को उजागर कर रही हैं। समाज में कहने को तो स्त्री का स्थान पुरूष के समान कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समाज में किसी न किसी रूप में उसके अधिकारों को फिर दबा दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कई मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश तक वर्जित कर दिया जाता है। क्या वह इंसान नहीं है यह बात सोचनीय है। पुरूष की वास्तविकता यह है कि अपने समस्त संस्कारों की दुहाई देते हुए वह साबित करते नहीं थकता है कि हमारी व्यवस्था में स्त्री का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण और केन्द्रीय है लेकिन व्यवहार में वह उसे लगातार हाशिए पर धकेलता रहता है। स्त्रियों ने अपने ऊपर थोपी गई इस स्थिति को लम्बे समय तक अनिवार्य नियति मानकर झेला तथा पुरूष सत्तात्मक व्यवस्था में आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित रहकर अनेक बार तो मृत्यु से भी दारूण अभिशप्त जीवन भोगा।[८] नारी ने अपने साहस के दम पर समाज से विरोध किया है और आज वह सभी क्षेत्रों में अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब हुई है। आज वह प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों से आगे है। आज वह पढ़-लिखकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है और पुरूष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। किसी भी क्षेत्र में वह अपने को कमजोर नहीं मानती। लेकिन जो महिलाएँ अपने विचारों को खुलकर प्रकट नहीं कर पाती हैं उन्हें भी आगे आना चाहिए और अपने विचार प्रकट करने चाहिए तभी तो अन्य लोग उनके विचारों से प्रभावित होंगे।

संदर्भ सूचीः-

१. विस्तृत रूप से देखें लेख, नारीवादी चिन्तन और उत्तर आधुनिकतावाद, नारीवादी विमर्श, राकेश कुमार, आधार प्रकाशन, पंचकूला, हरियाणा, २००४, पृ० १३१-१५६
२. वृहद उपनिषद, ३-६, १.२.४, ४.५, उत्तर रामचरित, अंक २, महाभारत ४.१.१४, ३.१५५ डॉ० जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ० ३४३
३. विस्तृत रूप देखें अध्याय, नारी-मुक्त आंदोलन, पुस्तक नारी के बदलते आयाम, डॉ० राजकुमार, अर्जन पब्लिशिंग हाउस, अन्सारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली, २००५, १६६-१६३
४. विस्तृत रूप देखें अध्याय, नारी-मुक्त आंदोलन, पुस्तक नारी के बदलते आयाम, डॉ० राजकुमार, अर्जन पब्लिशिंग हाउस, अन्सारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली, २००५, १६६-१६३
५. इक्कीसवीं सदी का महिला सशक्तिकरणः मिथक एवं यथार्थ, डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव, पृ० १११
६. इक्कीसवीं सदी का महिला सशक्तिकरणः मिथक एवं यथार्थ, डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव, व्उमहं च्नइसपबंजपवदेए ४३६८६५ए िदंतप त्वंकए क्तपं ळंदरए छमू क्मसीप. २प.अप
७. तसलीमा अख्तर कार्यकर्त्ता, बांग्लादेश, इक्कीसवीं सदी का महिला सशक्तिकरणः मिथक एवं यथार्थ, डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव, २, पृ० अ.
८. सम्पत्ति खण्ड से ऋशभ देव शर्मा का कथन, नारीः दंश दलन दायित्व, डॉ० अहिल्या मिश्र, गीता प्रकाशन ४-२/७७१ राजकोट चौरस्ता, गीता भवन, हैदराबाद-५००००१